उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड।

तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, 19–सी, विधानसभा मार्ग, लखनऊ–226001

दूरभाष–0522-2235752, 2235750, सी0यू0जी–9454404786

www.uppbpb.gov.in

सूचना / विज्ञप्ति

उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

संख्याःपीआरपीबी–बी (आरक्षी पीएसी एवं अन्य संवर्ग)–07/2025 दिनांक सितम्बर 28 2026

उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 की विज्ञप्ति दिनांकित 31.12.2025 के क्रम में प्रचलित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1993 (यथासंशोधित) एवं भर्ती की विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से आच्छादित न होने के कारण परीक्षा के अगले प्रक्रम शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आहूत न किये गये अभ्यर्थियों द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का लाभ प्रदान करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आहूत किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन विगत दिवसों में इस बोर्ड को प्रस्तुत किये गये हैं।

2. उपरोक्त सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1993 (यथासंशोधित) के नियम–2 (ग) में भूतपूर्व सैनिक को निम्नवत उल्लिखित किया गया हैः–

"भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थलसेना, नौसेना या वायुसेना में किसी उच्चकोटि में योधक या अनायोधक के रूप में सेवा की हो और जो–

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप, अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है

और इसमें टेरोटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक हैं–

(एक) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,
(दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और
(तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले ।

3. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार इस भर्ती की विज्ञप्ति दिनांकित 31.12.2025 के प्रस्तर–4–आरक्षण श्रेणी व आयु सीमा में छूट के प्रस्तर–4.4 में उपरोक्त नियम का उल्लेख किया गया है। इस विज्ञप्ति के प्रस्तर–4 की टिप्पणी के बिन्दु संख्या–1 में यह भी प्रावधान किया गया है कि :–

1) आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भरने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो। **(नोटः– अभ्यर्थी का आवेदन की अंतिम तिथि तक 'भूतपूर्व सैनिक' होना अनिवार्य है ।)**

इस भर्ती की विज्ञप्ति दिनांकित 31.12.2025 में आवेदन की अंतिम तिथि 30.01.2026 निर्धारित हैं।

4. उपरोक्त सम्बन्ध में **ऐसे अभ्यर्थी, जिनको बोर्ड द्वारा प्रचलित उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से आच्छादित न होने के कारण आहूत नहीं किया गया है, को सूचित किया जाता है कि यदि वे भूतपूर्व सैनिक से आच्छादित होने सम्बन्धी कोई विशिष्ट तथ्य बोर्ड के संज्ञान में लाना चाहते हैं, तो इस सम्बन्ध में सुसंगत पठनीय अभिलेखों सहित अपना प्रत्यावेदन बोर्ड की ई–मेल आईडी sampark@uppbpb.gov.in पर प्रेषित कर सकते है।**

5. यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in का अवलोकन करते रहें। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा सम्बन्धी समस्त सूचना/निर्देश बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही प्रदत्त की जायेगी।

(सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज)
अपर सचिव (भर्ती)/परीक्षा नियंत्रक,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।